

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2006/डी-1063

दिनांक: 06/12/2006

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 55 वीं बैठक दिनांक 01-12-2006 को प्रातः

11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपरिस्थ सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा सं०	प्रकरण	निर्णय	अनुपालना
1.	55.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 54 वीं बैठक दिनांक 09.11.2006 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।	
2	55.2	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 54 वीं बैठक दिनांक 09.11.2006 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	समिति द्वारा क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3	55.3	पुनर्गठित व्यावसायिक उपयोग के भूखण्ड संख्या ए-7 एवं ए-16 मेटल कोलोनी, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:- 1. अग्र सेटबैक में जो मेकेनिकल पार्किंग प्रस्तावित की गई है उससे आवागमन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। 2. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग लिया जावे। 3. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 4. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	
4	55.4	भूखण्ड संख्या -10- ए, गोवर्धन कालोनी, न्यू सांगानेर रोड पर व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:- 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग लिया जावे।	
5	55.5	ग्राम सोडाला, ख.न. 320, 321, 322, ग्राम सुशीलपुरा	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को प्रार्थी की सुनवायी हेतु आगामी बैठक के लिए स्थगित किया	

12

		ख.न. 313 मिन तथा ग्राम ब्रजलालपुरा ख.न. 47 पर प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन में।	गया।	
6	55.6	खसरा संख्या - 206, 210 ग्राम धोलाई, तहसील सांगानेर में आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट व बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	
7	55.7	भूखण्ड संख्या जी-एच-4, लोट्स विला, जगतपुरा के फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	
8	55.8	भूखण्ड संख्या जी-एच-5, लोट्स विला, जगतपुरा के फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	
9	55.9	भूखण्ड संख्या जी-एच-6, लोट्स विला, जगतपुरा के फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली	

			जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	
10	55.10	भूखण्ड संख्या जी-एच-9, लोट्स विला, जगतपुरा के फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	
11	55.11	भूखण्ड संख्या जी-एच-12, लोट्स विला, जगतपुरा के फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	
12	55.12	भूखण्ड संख्या जी-एच-11, लोट्स विला, जगतपुरा के फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	
13.	55.13	भूखण्ड संख्या - आर - 5, तिलक मार्ग (युधिष्ठिर मार्ग) सी-स्कीम, जयपुरमें फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. बेसमेंट में व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु	

			अण्डरटेकिंग ली जावे।	
14	55.14	खसरा संख्या -356, जगतपुरा में फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. बेसमेंट में व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे। 4. मानचित्र जारी करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा मौके से एच.टी. लाइन हटवानी होगी।	
15	55.15	ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, पत्रकार कोलोनी फ्लेट्स मानचित्र बाबत	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. बेसमेंट व स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	
16	55.16	व्यावसायिक भूखण्ड, न्यू आतिश मार्केट में प्रस्तावित भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा नीलामी की शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रकरण पर विचार विमर्श किया कि नीलामी के समय जिन नियमों को प्रकाशित किया गया था उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है व मैकेनिकल पार्किंग हेतु पूर्व में यह निर्णय लिया जा चुका है कि अतिरिक्त पार्किंग में ही मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से संशोधित मानचित्र नीलामी की शर्तों के अनुसार व पार्किंग नियमानुसार दर्शाते हुए लिये जावे।	
17	55.17	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 88, 89, 90 योजना 9बी, भान नगर, प्रिन्स रोड, जयपुर।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से	

44

8

			पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे। 4. भूखण्ड के पीछे के सैटबैंक में प्रस्तावित पार्किंग को अनुमोदित करने का निर्णय लिया बशर्ते कि आवागमन में कोई बाधा नहीं हो व मैकेनिकल पार्किंग केवल अतिरिक्त पार्किंग हेतु प्रस्तावित हो।	
18	55.18	खसरा नम्बर 1/1, ग्राम बस्सी सीतारामपुरा झोटवाड़ा रोड जयपुर में व्यावसायिक / मल्टीप्लेक्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्राधी द्वारा दिनांक 15.11.2006 को प्रस्तुत संशोधित भवन मानचित्रों पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया। राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 10.08.2006 को जो शिथिलतायें प्रदान की हैं उनका भी परीक्षण किया गया। संशोधित मानचित्र व राज्य सरकार के पत्र के संदर्भ में समिति ने विचार विमर्श परचात् निम्न निर्णय लिये:- 1. संस्था को तीन बेसमेंट की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पार्किंग हेतु प्रदान की गई है अतः एक बेसमेंट व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने हेतु पुनः राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाये। 2. साइड सैटबैंक 9 मीटर के स्थान पर 6 मीटर किये जाने हेतु प्राधी ने पुनः निवेदन किया है। अतः इस हेतु पुनः राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाए। 3. प्राधी द्वारा निम्नानुसार संशोधित भवन मानचित्र लिये जावे:- 1. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 10.08.2006 में अनुज्ञेय अनुसार रैम्प फ्रन्ट सैटबैंक से 2.0 मीटर छोड़ते हुये दर्शाये जावे। 2. प्रस्तावित आच्छादन अनुज्ञेय आच्छादन से अधिक है अतः नियमानुसार आच्छादन लिया जावे। 3. नियमानुसार पार्किंग सहित मानचित्र लिये जावे। बिन्दु संख्या 1 और 2 में राज्य सरकार द्वारा जो भी स्वीकृति/अस्वीकृति दी जावे उन सहित व बिन्दु संख्या 3 में वर्णित संसाधनों सहित भवन मानचित्र निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 2. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे।	

18/

			3. दो बेसमेंट/तीन बेसमेंट में राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसार प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग लिया जावे। उपरोक्तानुसार भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।	
19	55.19	एस-19, सेन्ट्रल स्पाईन जगतपुरा में रिटेल आउटलेट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ रिटेल आउटलेट पम्प हेतु मानचित्र अनुमोदित किये गये:- 1. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम, जयपुर से अनापत्ति ली जावे। 2. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर से अनापत्ति ली जावे। 3. विस्फोटक विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति ली जावे। 4. सड़क सीमा से फ्यूल पम्प की दूरी 7 मीटर की जाकर मानचित्र अनुमोदित किये जाये।	
20	55.20	भूखण्ड संख्या ई-179, ई-180, श्यामनगर, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भवन मानचित्र को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
21	55.21	भूखण्ड संख्या - बी-4, सेन्ट्रल स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर के भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में।	विद्याधर नगर सेन्ट्रल स्पाइन जविप्रा की एक विशिष्ट स्कीम है जिसके तहत एलीवेशन कंट्रोल जयपुर शैली के प्रस्तावित किये गये हैं। इस स्कीम में सभी भूखण्डों को समान एलीवेशन प्रस्तावित किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा मानचित्र में छज्जे व टेरिस पर छतरियों के प्रस्ताव दिये गये हैं वे अनुमोदित एलीवेशन से भिन्न हैं। विद्याधर नगर के नियमों में नियमबद्ध हेतु कोई प्रावधान नहीं है अतः प्रार्थी के प्रस्तावों को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।	
22	55.22	खसरा नम्बर - 178, 180, 181, 191 से 197 श्री विहार (निजी खातेदार) गोपालपुरा बाईपास में प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्रों को निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. बेसमेंट व स्टिल्ट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर से	

			पार्किंग बाबत अनापत्ति ली जावे। 5. अपर बेसमेंट में साइड सैटबैक में प्रस्तावित रैम्प को अनुमोदित करने का निर्णय लिया। 6. नियमानुसार सभी शुल्क देय होंगे।
23	55.23	भूखण्ड संख्या 29, 30, 37 एवं 38 पदमावती कालोनी जयपुर में आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।
24	55.24	भूखण्ड संख्या ए-2, ए-11, ए-3, एवं ए-12 भूखण्डों में पुनर्गठन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भूखण्डों का पुनर्गठन निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. पुनर्गठन से पूर्व दोनों भूखण्डों में जो आच्छादन प्राप्त होता है वही आच्छादन पुनर्गठित भूखण्डों में अधिकतम अनुज्ञेय होगा। 2. अन्य समस्त मापदंड भवन विनियम 2000 के अनुसार होंगे। 3. प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण से पूर्व जविप्रा से मानचित्र अनुमोदित करवाना होगा।
25	55.25	भूखण्ड संख्या -1, खसरा नम्बर 92/2ए, बीड खातीपुरा, क्वीन्स रोड, जयपुर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण में वीर विहार व प्रताप नगर कोलोनी द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गई है अतः आगामी बैठक में प्रार्थी व दोनों कोलोनियों की विकास समिति के पदाधिकारियों की सुनवायी की जायेगी। उसके पश्चात् मानचित्रों पर विचार किया जायेगा।
26	55.26	सैटबैक में कवर्ड रैम्प हेतु	<u>नीतिगत निर्णय:-</u> 1. प्रायः यह देखा गया है कि प्रार्थी द्वारा सैटबैक में जो रैम्प दर्शाये जाते हैं, उन्हें कवर्ड करने की अनुमति मांगी जाती है। बीपीसी की बैठक दिनांक 09.11.2006 के एजेण्डा संख्या 13 के प्रकरण में कवर्ड रैम्प अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात पत्रावली पर कुछ प्रकरण में आयुक्त महोदय की स्वीकृति से कवर्ड रैम्प अनुज्ञेय किये गये हैं। समिति द्वारा यह विचार किया गया कि रैम्प कवर्ड करना उपयोगी है जिससे वर्षा आदि से बचाव हो सके। अतः समिति द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया कि सैटबैक में नियमानुसार जो रैम्प अनुज्ञेय हैं उन्हें कवर्ड करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि उसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं हो।

92 135

27	55.27	बेसमेंट व स्टिल्ट में पार्किंग को जविप्रा के हक में समर्पित कराये जाने हेतु।	नीतिगत निर्णय:- 1. समिति द्वारा यह विचार किया गया कि पार्किंग हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग मानचित्र अनुमोदन के समय ले ली जाती है परन्तु भवन बनने के बाद उसका कब्जा प्राधिकरण द्वारा नहीं लिया जाता है। भवन मालिक द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र जविप्रा से नहीं लिया जाता, अतः पार्किंग में अनाधिकृत निर्माण का परिक्षण नहीं हो पाता है और प्रार्थी द्वारा पार्किंग को अन्य उपयोग में लिया जाता है। अतः यह निर्णय लिया कि इस हेतु निम्न आदेश जारी किए जाए :- 1. उपायुक्त जोन भवन निर्माण पूरा होने के बाद पार्किंग समर्पित करा के कब्जा प्राप्त करेंगे व प्रार्थी से सरेन्डरडीड दनवायेंगे। 2. मानचित्र जारी होने पर पार्किंग एरिया में यह टिप्पणी अंकित की जाएगी। " Parking area will remain as property of JDA".
----	-------	--	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


 6/12/06
 सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र समिति(बीपी)
 जविप्रा, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(बिल्डिंग प्लान) की 55वीं बैठक दिनांक 01.12.2006 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री डी.बी. गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. माननीय श्री वीरू सिंह राठौड़, विधायक | सदस्य |
| 3. श्री जी.एल. गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 5. श्री ज्ञानाराम, अति. आयुक्त, भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 6. श्री रामनिवास मीणा, अति. आयुक्त, (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 7. श्री मातादीन शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 8. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |
- विशेष आमंत्रित :-

1. श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा जयपुर।
3. श्री गिराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7 जविप्रा जयपुर।
4. श्री भगवान सहाय शर्मा, उपायुक्त जोन-9 जविप्रा जयपुर।

सदस्य सचिव(बीपीसी)

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2006/डी-1063

दिनांक : 06/12/2006

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठौड़, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी., जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव(बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर।